



Neutral Citation No.- 2026:AHC:636

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44167 वर्ष 2025

अंकित वर्मा उर्फ डॉन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधाकर शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, रमा पति त्रिपाठी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुधाकर शुक्ला और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री राम पति त्रिपाठी के साथ-साथ राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-163 वर्ष 2025, बी.एन.एस., थाना-सेन पश्चिम पारा, ज़िला: कानपुर नगर की धारा 140(1), 103(1), 238, 191(2), 191(3), 3(5) के तहत ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, करण वर्मा को इस न्यायालय द्वारा 28.10.2025 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-35200 में पारित आदेश के तहत पहले ही ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को हलफनामे में समझाया गया है। आवेदक 09.07.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक- अंकित वर्मा उर्फ डॉन, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

5 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)